प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम),
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0,
सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उ0प्र0।
समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पलिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0।

संख्याः–पी0एम0यू0 /7797/441(2)/ 2023 लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2023

विषयः–"**10तक डोर टू डोर**" अभियान के अन्तर्गत तीसरे चरण, **चालान** (Penalise) दिशा–निर्देश दिये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया राज्य मिशन निदेशालय के पत्र संख्या पी0एम0यू0 / 7457 / 441(2) / 2023, दिनांक 25 जनवरी, 2023 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के विशिष्ट अभियान "**10तक डोर टू डोर**" की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का वर्णन किया गया है।

आप विदित है कि दिनांक 04 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक तीसरा चरण, चालान (Penalise)चलाया जाना है। उक्त के क्रम में असाधरण विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–5 संख्याः–257 / नौ–2021–162सा / 2021 लखनऊ, दिनांक 20 अक्टूबर 2021 अधिसूचना के अनुसार चालान की प्रक्रिया निम्नवत् हैः–

उत्तर प्रदेश असाधरण गजट, 20 अक्टूबर, 2021

अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा पृथक्करण, परिदान और संग्रहण किये जाने संबंधी उपबंध

क्र0 सं0	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पलिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
1	अपृथक्कृत रूप से शुष्क, आर्द्र और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का परिदान किया जाना / सौंपा जाना और अपशिष्ट पृथक डिब्बों में न रखना (अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये प्रति माह विहित प्रयोक्ता शुल्क के अतिरिक्त शास्ति की धनराशि प्रति माह प्रभारित की जायेगी	200 रूपये प्रतिमाह	150 रूपये प्रतिमाह	100 रूपये प्रतिमाह	50 रूपये प्रतिमाह
2	निर्माण एवं विध्वंस थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा अपृथक्कृत निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु)	2000 रूपये	1200 रूपये	750 रूपये	500 रूपये
3	अपृथक्कृत उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छाल ओर कतरनों का परिदान किया जाना (ऐसे प्रत्येक उल्लघंन हेतु)	200 रूपये	100 रूपये	75 रूपये	50 रूपये

4.	अपृथक्कृत मत्सय, कुक्कुट, ओर मांस अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति माह शास्ति की धनराशि प्रभारित की जायेगी)	750 रूपये प्रति माह	500 रूपये प्रतिमाहं	300 रूपये प्रतिमाह	150 रूपये प्रतिमाह
5.	किसी थोक अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा अपृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण तथा परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति सप्ताह शास्ति की धनराशि प्रभाारित की जायेगी	1000 रूपये प्रति सप्ताह	750 रूपये प्रति सप्ताह	500 रूपये प्रति सप्ताह	350 रूपये प्रति सप्ताह

- दिनांक 04 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक उक्त दिये हुये धारा के आधार पर निरंतर चालान कराना सुनिश्चित करें।
- निकाय की परिधि में स्थित गेटेड कालोनी, आर0डब्लयू0ए0 कालोनी एवं बल्क वेस्ट जनरेटर को **''10तक''** डोर टू डोर अभियान के तीसरे चरण, चालान (Penalise) के प्रावधानों से अवगत करायें एवं पोस्टर, बैनर, आई0ई0सी0 गतिविधियों आदि के माध्यम से चालान के विषयगत सचेत करना सुनिश्चित करें।
- निकाय के स्वच्छता निरीक्षक (Sanitary Inspector)/सक्षम अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दिनांक 4 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक सुनियोजित तरीके से **प्रतिदिन,** नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में न्यूनतम 50 हाउसहोल्ड, नगर पालिका परिषद के प्रत्येक वार्ड में न्यूनतम 20 हाउसहोल्ड तथा नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में 5 से 10 हाउसहोल्ड का निरीक्षण कराएं तथा सोर्स सेगीग्रेशन का अनुपालन (Compliance) न करने वाले हाउसहोल्ड पर चालान/कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें।
- **'10तक''** डोर टू डोर अभियान में क्रियानवित समस्त आई0ई0सी0 गतिविधियों में निरन्तरता बनाये रखते हुये दिनांक 04 मार्च से 31 मार्च 2023 तक **''10तक''** 'डोर टू डोर' अभियान के अन्तर्गत सोर्स सेग्रीगेशन का अनुपालन न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर, गेटेड कालोनी एवं आर0डब्लयू0ए0 कालोनी पर चालान किये जाने हेतु अपर नगर आयुक्त नगर निगम व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा टीम का गठन कर चालान (Penalise), कराना सुनिश्चित करें।
- स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की हेल्पलाईन 1533 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए जिसके माध्यम से डोर टू डोर की सेवाएं प्राप्त न होने की दशा में जनमानस द्वारा शिकायत करने की व्यवस्था के विषय में अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- निकाय/संस्था के कर्मचारी द्वारा सेग्रीगेटेड वेस्ट न इकट्ठा करने की दशा में अथवा सेग्रीगेटेड वेस्ट को मिक्स करते हुये पाये जाने पर सबंधित के विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
- 4 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक सभी चालानों का विवरण संकलित कर संरक्षित करे तथा कुल चालान के आंकड़ों की सूचना संलग्न फार्मट पर राज्य मिशन निदेशालय की ई-मेल आईडी sbmdlbup@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(नेहा शर्मा)
राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. जनपद के समस्त डिस्ट्रिक प्रोग्राम मैनेजर/ डिस्ट्रिक्त को–आर्डिनेटर, एस0बी0एम0 को इस निर्देश कि साथ प्रेषित कि "**10तक डोर टू डोर**" अभियान के विषयगत यथोचित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल

(नेहा शर्मा)
राज्य मिशन निदेशक

10tak Campign Phase -3 Penalty Details													
S.No.	Division	District	Name of ULBs	Bulk waste Generator		Gated Colony		RWA Colony		Household		Total Number of Chalan (5+7+9+11)	Total Amount received against Chalan (6+8+10+12)
				Number of Chalan	Amount received against Chalan	Number of Chalan	Amount received against Chalan	Number of Chalan	Amount received against Chalan	Number of Chalan	Amount received against Chalan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

* E-mail ID - sbmdlbup@gmail.com